सच्चः गुजरात जिला	आबंटन 1992-93	आबंटन 1993-94	(लाख रुपये में) आबंटन 1994-95
4. जामनगर	35.00	52.50	58.00
5. कच्छ	129.50	194.25	213.50
6. पंचमहल	121.50	182.50	201.50
7. राजकोट	85.00	127.50	141.00
8. सुरेन्द्रनगर	158.50	237.75	262.50
कुल:	746.00	1119.00	1236.00
मरूभूमि विकास कार्यक्रम			
1. बनासकांठा	179.00	268.50	304.00
2. मेहसाना	46.00	69.00	78.00
कुल:	225.00	337.50	382.00

गुजरात में दस लाख कुंओं की योजना

7371. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में जिला वार "दस लाख कुंए" योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य की अब तक कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके जिला वार क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के अन्तर्गत कुछ अन्य विकास कार्यों को शामिल करने के संबंध में उक्त जिलों के समाज सेवी संगठनों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) और (ख) भारत सरकार ने दस लाख कुओं की योजना की कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं की है। तथापि, मूल्यांकन निदेशालय, गुजरात सरकार ने गुजरात में दस लाख कुओं की योजना का मूल्यांकन कराया है। इस मूल्यांकन के निष्कर्षों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) गुजरात के जिलों के किसी भी सामाजिक संगठन से इस योजना में कुछेक अन्य विकासात्मक गतिविधियों को शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, सिंचाई कुओं के अलावा सिंचाई तालाबों, जल एकत्रीकरण ढांचों और छोटे और सीमांत किसानों की भूमि के विकास जैसी लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं को दस लाख कुओं की योजना में पहले से ही शामिल किया गया है।

विवरण

मूल्यांकन निदेशालय, गुजरात सरकार द्वारा कराए गए दस लाख कुओं की योजना के मूल्यांकन (नमूना आधार पर) के मुख्य निष्कर्ष:

1. नमूना आधार पर खोदे गए खुले कुओं के मामले में सफलता दर 91.3% थी और नमूना आधार पर बोर-कुओं के मामले में सफलता दर 69.4% थी।
2. नमूना आधार पर खोदे गए 57.9% प्रतिशत खुले कुओं और नमूना आधार पर 100 प्रतिशत बोर कुओं का निर्माण कार्य एक वर्ष के अंदर पूरा कर लिया गया था।
3. कुल लागत का 64.6 प्रतिशत मजदूरी घटक पर खर्च किया गया था जबकि सामग्री घटक पर 35.4 प्रतिशत खर्च किया गया।
4. प्रति नमूना कुआं सृजित औसत रोजगार 554 श्रमदिन बैठता है।
5. नमूना लाभार्थियों में से 88 प्रतिशत ने ऑयल इंजिन की स्वयं खरीद की थी, 11.6 प्रतिशत किराए पर ऑयल इंजिन का इस्तेमाल कर रहे थे और 0.4 प्रतिशत ने बिजली की मोटर लगाई थी।
6. लगभग 20 प्रतिशत अधिक नमूना लाभार्थियों ने कुओं के निर्माण के बाद उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया।
7. लगभग 26.6 प्रतिशत अधिक नमूना लाभार्थियों ने कुओं के निर्माण के बाद रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया।
8. कुओं से सिंचाई की सुविधा मिलने के कारण रबी की फसल के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है।
9. कृषि गतिविधियों से रोजगार में 92.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
10. नमूना लाभार्थियों की वार्षिक औसत आय में सिंचाई के बादे दुगने से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

11. नमूना लाभार्थियों में से 75 प्रतिशत ने गरीबी की रेखा को पार कर लिया है।

12. भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान किए जाने के बाद भूमि के मूल्य में सतत् रूप से वृद्धि हुई है।

सूखे की समस्या का स्थायी समाधान

7372. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में सूखे की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ़ने के लिए कोई कार्य योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम नामक दो कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों से 14 राज्यों के चयनित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं:—

(1) फसलों के उत्पादन तथा पशुधन और भूमि की उत्पादकता, पानी और मानव संसाधनों पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना।

(2) पारिस्थितिक सन्तुलन को बनाए रखने को प्रोत्साहन देना।

(3) मरूस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण पाना।

1.4.1995 से सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 13 राज्यों के 149 जिलों के 945 खंडों में और मरूभूमि विकास कार्यक्रम 7 राज्यों के 36 जिलों के 227 खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम दोनों ही कार्यक्रम अब मंत्रालय द्वारा बनाई गई वाटरशेड विकास हेतु नई मार्गदर्शिकाओं के अनुसार कार्यान्वित किये जाएगें। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अर्न्तगत क्षेत्र को वाटरशेड आधार पर नियोजित और विकसित किया जाएगा। मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी एक गांव को योजना की एक ईकाई के रूप में लिया जाएगा। तथापि जहां क्षेत्र की स्थानाकृति के कारण वाटरशेड आधार पर विकास सम्भव नहीं है, वहां क्षेत्र का विकास गांवों के समूह के आधार/सूचक श्रवण क्षेत्र आधार पर किया जाएगा। इसके लिए संचलनात्मक ब्यौरा तैयार किया गया है।

जिला स्तरीय वाटरशेड विकास परामर्शी समिति की सलाह पर जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को परियोजनाएं स्वीकृत करने का अधिकार होगा जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करेगी जो वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना, पर्यवेक्षण, समन्वय और कार्यान्वयन तथा समुदाय संगठन एवं स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी एक वाटरशेड विकास दल की मार्फत काम करेगी जिसमें चार विशेषज्ञ शामिल होंगे।

वाटरशेड एसोसिएशन, जिसमें वाटरशेड क्षेत्र के दायरे में रहने वाले सभी बालिग सदस्य शामिल होंगे, की मार्फत परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों को पूरी तरह शामिल किया जाएगा। यदि वाटरशेड केवल एक गांव के क्षेत्र को कवर करता है तो वाटरशेड एसोसिएशन ग्राम सभा के बने रहने तक रहेगी। वाटरशेड एसोसिएशन एक वाटरशेड समिति की मार्फत कार्य करेगी जिसमें उनमें से 10-12 नामित सदस्य शामिल होंगे।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा किये गए प्रयास निम्नलिखित हैं:—

(1) राज्य सचिवों के जुलाई, 1994 में हुए सम्मेलन में विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद वाटरशेड विकास हेतु मार्गदर्शिकाओं को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें अक्टूबर, 1994 में राज्य सरकारों को भेजा गया।

(2) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर के अन्य अधिकारियों के लिए कृषि विस्तार और प्रबंध संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षण का प्रबंध किया। इसी संस्थान में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया।

(3) मार्गदर्शिकाओं पर अमल करने के लिए जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों और परियोजना निदेशकों/मुख्य